राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण समाज

✧ सुरेन्द्र कुमार बैनिवाल

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर रहती है। जो कि सम्पूर्ण रूप से मौसम पर निर्भर रहती है। देश के सभी प्रदेशों में वर्षा का अनुपात समान नहीं रहता जिसके कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के कृषक समाज पर पड़ता है और गरीबी, बेकारी आदि का जन्म होता है। देश के आधे से ज्यादा किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने को मजबूर हैं। गाँवों से शहरों की ओर पलायन जारी है, खेतीहर मजदूरों की दशा दयनीय है। सूखे व बाढ़ की आपदा से ग्रस्त किसान व खेतीहर मजदूर भुखमरी के कगार पर आ जाते हैं, कर्जों की अदायगी के अभाव में आत्महत्या की घटनायें बढ़ती जा रही है। हाल के वर्षों में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा केरल के किसानों द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं ने राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। भारत में औद्योगिक उत्पादन दर तथा आथिक विकास दर औसतन बढ़ी है। वर्ष 2006-07 में तो आर्थिक विकास दर के नौ फीसदी तक पहुँचने की अधिकारिक घोषणा हो चुकी है। विदेशी मुद्रा का भण्डार भी अप्रेल 2007 में लगभग 199.18 लाख डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया था फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की दशा देश की आर्थिक विकास में रोड़ा बनी हुई है। देश के नियोजन काल में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी निवारण के अनेक प्रयत्न किए गए हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का अभिप्राय उस व्यवस्था से है, जिसमें कार्य करने योग्य व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा होते हुए भी उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे उसे नियमित रूप से आय प्राप्त हो सके। असल में यह बेरोजगारी प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मौसमी बेरोजगारी की अवधि पृथक-पृथक राज्यों में भिन्न-भिन्न है। चूँकि खेतों की बुवाई-जुताई तथा कटाई के समय खेतीहर मजदूरों की माँग बढ़ रही है। जिसके फलस्वरूप इस समय में बेरोजगारों में कमी आ जाती है।

लेकिन पैदावार हो जाने के बाद बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। एक स्रोत के अनुसार उत्तरी भारत में औसत किसान वर्ष के 150 दिन बेकार रहता है। मौसमी बेरोजगारी में वृद्धि का सबसे मुख्य कारण शिल्प उद्योग तथा लघु उद्योगों का पतन रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्र व राज्यों ने रोजगार की एक नई योजना अपनाई। जिसमें आईआरडीपी के तहत इस योजना को क्रियान्वित की गई है। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

ग्रामीण क्षेत्रों की दशा तथा लोगों को रोजगार देने के लिए कई विशेष योजनाएँ क्रियान्वित हैं लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली का एक स्वरूप देखने को मिला है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने वाली नयी संचालित 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (NREGY) एक अनोखी एवं विशेष प्रकार की योजना है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) तथा काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (N.F.F.W.P.) को इस योजना में समाहित कर लिया गया है। यह योजना 14 नवम्बर 2005 को देश के चुने हुए 200 जिलों में प्रारम्भ की गई। अगले पाँच वर्षों में इसे पूरे देश में लागू किये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के अन्तर्गत काम को पहचान करने तथा उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को इसलिए निर्धारित किया गया है। क्योंकि ग्राम पंचायतें क्षेत्र की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझती है। ग्रामीण परिवारों को स्थानीय पंचायतों में अपना नाम इस कानून के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है। एक बार नाम पंजीकृत हो जाने पर ग्राम पंचायत 'जॉब कार्ड' जारी कर देती है तथा काम मांगने पर 15 दिन के भीतर उन्हें कार्य उपलब्ध कराना होता है। यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिल पाता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान की गई है। बाकी के दिनों में ग्राम्य विकास की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत इच्छुक लोगों को काम दिया जा सकेगा। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

✧ प्रति मानव दिवस श्रम के लिए न्यूनतम 60 रुपये दैनिक के हिसाब से नकद राशि प्रति सप्ताह प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। ✧ बेरोजगारी भत्ते की दर 30 दिन तक एक दिन की मजदूरी का ¼ तथा 30 दिन से ऊपर एक दिन की मजदूरी की आधी राशि निर्धारित की गयी है। ✧ योजना में रोजगार हेतु कार्य मजदूरों के निवास स्थल से 5 किमी. क्षेत्र के अन्दर दिये जाने की व्यवस्था है किन्तु यदि इससे अधिक दूर काम मिलता है तो मजदूरों को 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। ✧ कार्य मांगने वाले व्यक्तियों को एक बार में कम से कम 14 दिन का लगातार रोजगार दिया जाएगा, कार्य की उपलब्धता पर यह अधिक दिनों तक भी मिलता रह सकता है। ✧ मजदूरों की संख्या में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान की व्यवस्था की गई है। ✧ ग्राम पंचायतों द्वारा संस्तुत किये गये कार्यों को सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत द्वारा सुझाव

श्री रामकरण जोशी सी.सै. स्कूल के पीछे, दौसा

के साथ अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित जिला पंचायत विकास खण्डवार 'सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' के रूप में तैयार कर कार्यों का अनुश्रवण एवं देखभाल सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने की व्यवस्था रखी गई है। ✧ यदि कार्य स्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु या अपंगता आ जाती है इसके लिए योजना में 25000 रुपये अनुदान की व्यवस्था की गई है। ✧ इस योजना के अन्तर्गत मशीनों से कार्य कराये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक इच्छुक एवं सक्षम लोगों को रोजगार प्रदान करना संभव हो सके। ✧ कार्यों की गुणवत्ता पर अंकुश रखने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 'सतर्कता एवं निगरानी समिति' की व्यवस्था की गई है। जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करेगी। ✧ इस योजना में प्रत्येक कार्य स्थल पर एक 'साइन बोर्ड' लगाना अनिवार्य किया गया है जिसमें कार्यों का विस्तृत विवरण लिखा हो, इससे कार्यों के सम्बन्धित में स्पष्ट जानकारी सभी को प्राप्त हो सकती है। ✧ वर्तमान समय में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के द्वारा घोषणा की गई कि सम्पूर्ण भारत में 600 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जायेगी। फिलहाल देश में 330 जिलों में यह योजना क्रियान्वित है।

यह योजना 27 राज्यों के 200 पिछड़े जिलों में लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2005-06 में 23 अरब 67 करोड़ 57 लाख रुपये जारी किये गये तथा वर्ष 2006-07 के लिए 440157.07 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई जिसमें 2 करोड़ 54 लाख 73 हजार 820 'जॉब कार्ड' जारी किये गये जिसमें 89 लाख 43 हजार 703 लोगों ने काम की मांग की और 83 लाख 5930 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है वहीं भविष्य में इनमें आने वाली कमियाँ भी दिखाई पड़ती है।

✧ सबसे बड़ी समस्या विभिन्न राज्यों में मजदूरी दर का भिन्न-भिन्न होना है। इस योजना में मजदूरी पर 60 रुपये प्रतिदिन रखी गई है जबकि केरल जैसे राज्य में दैनिक मजदूरी 126 रुपये पहले से मिल रही है। वहाँ इस रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति शोषण का शिकार माना जायेगा। इसी प्रकार पूर्व से न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता आधारित मानते हुए दैनिक मजदूरी न्यूनतम 2400 कैलोरी, कपड़े आदि श्रमिक की जरूरतों के मुताबिक परिभाषित की गई है किन्तु रोजगार गारंटी अधिनियम इससे भिन्न मजदूरी दर निर्धारित करता है। ✧ सामाजिक कारणवश एक उच्च जाति का व्यक्ति बेरोजगार होने पर भी अपना नाम पंजीकृत नहीं कराना चाहेगा क्योंकि एक निम्न जाति के व्यक्ति के साथ काम कर पाना सामाजिक संकोचवश मुश्किल होगा। ✧ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में सम्पूर्ण खर्च केन्द्र वहन करेगा। राज्यों को केवल लागत का 25 प्रतिशत की व्यवस्था करनी है। इस कारण संभव है कि केन्द्र इस बात को देखते हुए कि राज्यों की न्यूनतम मजदूरी की राशि बेकार ही बढ़ रही है, अपना बोझ कम करने के उद्देश्य से मजदूरी की कुल ऊपरी सीमा निर्धारित कर दे। ✧ इस योजना की कुल लागत मजदूरी से इतनी अधिक जुड़ी है कि केन्द्र कम दर पर मजदूरी तय कर सकता है ताकि यह अपनी राजकोषीय वचनबद्धता (आय-व्यय का समायोजन) न्यूनतम स्तर पर रख सके।

अत: सरकार को यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्धारित 60 रुपये दैनिक मजदूरी में वृद्धि करते हुए श्रमिकों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करें और योजना का भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन हो तभी रोजगार गारंटी अधिनियम से सिर्फ प्रत्यक्ष लाभार्थियों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को लाभ मिल सकेगा। व्यापक प्रचार एवं प्रसार द्वारा ही यह योजना शत-प्रतिशत सफल हो सकेगी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम आधारित प्रोजेक्ट/कार्य सम्पादित कराने की व्यवस्था रखी गई है। जिसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, जल संग्रहण, भूमि संरक्षण, सूखा और बचाव कार्य, वर्गीकरण और पौधारोपण, तालाबों, पांखरों की मिल्ट, सफाई, ग्रामीण सड़कों और नालियों का निर्माण जैसे विकास कार्यों का पूर्ण कराया जाना है।

योजना का ग्रामीण समाज पर प्रभाव–

मानव की प्राथमिक आवश्यकता उसका जीवन-यापन होता है। जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान तथा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ग्रामीण समाज पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा योजना से ग्राम समाज पर एक अहम प्रभाव पड़ा है। हमारी संस्कृति की धरोहर ग्रामीण समाज में विद्यमान है। क्योंकि भारतीय ग्रामीण समाज के परिवेश में संयुक्त परिवार, नातेदारी, व्यवहार, यांत्रिक व्यवस्था आदि सभी पाई जाती है। योजना के माध्यम से रोजगार मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन में कमी आई है। इससे संयुक्त परिवार में सुदृढ़ता देखने को मिल रही है। इसके साथ-साथ ग्रामीण समाज में अन्य योजनाएँ लागू की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का एक ऐसा भाग भी है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अस्पृश्य जातियों अथवा जनजातियों के लिए विशेष लाभ के साथ रोजगार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। लघु उद्योग जैसी योजनाओं में छूट का प्रावधान तथा प्रशिक्षण आदि दिया जा रहा है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में सामाजिक गतिशीलता एवं उत्तरोत्तर उन्नति की ओर प्रगतिशील हो रही है तथा स्थानीय ग्रामीण प्रत्येक क्षेत्र जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि में जागरूकता बढ़ती हुई प्रदर्शित हो रही है।

संदर्भ सूची–1. पाण्डे प्रेम नारायण (2000), 'ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन' रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ. 4-35। 2. देसाई ए. आर. (1999), भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली। पृ. 55-125। 3. कुरुक्षेत्र अक्टूबर, 2007, पृ. 22-25। 4. योजना मई, 2004, पृ. 13-16। 5. परीक्षा मंथन जुलाई, 2001-2002, पृ. 63-64